भारतीय समाज तथा सामाजिक समस्याएँ एवं आंतरिक सुरक्षा

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501

Web: www.drishtiias.com
E-mail : drishtiacademy@gmail.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ *(Salient features of Indian Society)*

समाज कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग समाजों का निर्माण हुआ है, जैसे- ग्रामीण समाज, शहरी समाज, पशुचारण समाज कृषक समाज, आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, अमेरिकी समाज, ब्रिटिश समाज, यूरोपीय समाज, हिन्दू समाज, पारसी समाज, आदि। इन सभी समाजों की अपनी विशेषताएँ होती हैं जिसके आधार पर हम उसे अन्य समाजों से अलग कर सकते हैं। हर समाज की तरह भारतीय समाज की भी कुछ विशेषताएँ हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

विविधता *(Diversity)*

विविधता में एकता भारतीय समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ प्रजाति, जनजाति, जाति, भाषा, धर्म आदि आधारों पर व्यापक विविधताएँ विद्यमान हैं लेकिन इसके बावजूद उनमें अद्‌भुत एकता पायी जाती है। (इसके संबंध में अगले शीर्षक में विस्तार से चर्चा की गई है।)

प्राचीनता एवं स्थायित्व *(Ancientness and Stability)*

भारतीय समाज प्राचीनतम समाजों में से एक है। विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियाँ, जैसे- मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, रोम, आदि विनष्ट हो गईं लेकिन भारतीय संस्कृति व समाज-व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी हमारे यहाँ वैदिक धर्मों को मानने की परम्परा है। गीता, महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी देश में जीवंत बने हुए हैं। भारतीय जन-जीवन का मौलिक आधार आज भी काफी हद तक वही है जो प्राचीन भारत में विद्यमान था।

सहिष्णुता *(Tolerance)*

सहिष्णुता भारतीय समाज की एक अद्‌भुत विशेषता है। यहाँ सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता एवं प्रेम का भाव पाया जाता है। भारत में समय-समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इनमें से किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह पर कोई संस्कृति थोपी गई। यहाँ आज भी हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी अपनी-अपनी विशेषताएँ बनाए हुए हैं।

समन्वय *(Coordination)*

भारतीय समाज के सहिष्णु स्वभाव के कारण ही इसमें भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। यदि विभिन्न संस्कृतियों को नदियाँ मान लिया जाए तो भारतीय संस्कृति वह सागर है जहाँ सभी नदियाँ आकर मिलती हैं। विभिन्न संस्कृतियों, जैसे- जनजातीय, हिन्दू, मुस्लिम, शक, हूण, सीथियन, ईसाई आदि से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई वरन् इन संस्कृतियों ने भारतीय समाज में समन्वय एवं एकता ही स्थापित की है। आजकल इस विशेषता को 'बहुसंस्कृतिवाद' (Multiculturalism) कहा जाता है। 'सामासिक संस्कृति' (Composite Culture) भी इसी विशेषता को इंगित करने वाला शब्द है।

अध्यात्मवाद *(Spiritualism)*

अध्यात्मवाद भी भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है। यहाँ भौतिक सुख और भोग-विलास को जीवन का चरम उद्देश्य नहीं माना गया। आत्मा और ईश्वर के महत्त्व को स्वीकार किया गया है और भौतिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज में आत्मा की तरह बसे हुए हैं। भारतीय समाज में सहिष्णु प्रवृत्ति के उदय में अध्यात्मवाद की बड़ी भूमिका रही है।

धर्म की प्रधानता *(Dominance of Religion)*

भारतीय समाज एक धर्म प्रधान समाज है। यहाँ मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को धर्म के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय लोग अपने जीवन काल में अनेक धार्मिक कार्यों व अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। यह धर्म संकुचित धर्म नहीं बल्कि मानवतावादी धर्म है जो सभी जीवों के प्रति दया और कल्याण की भाव रखता है। इस प्रकार भारतीय समाज व संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

अनुकूलनशीलता *(Adaptability)*

भारतीय समाज में समय और स्थितियाँ के साथ परिवर्तित होने की विशिष्ट क्षमता है। यहाँ के परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाओं ने समय के साथ स्वयं को अनुकूलित किया है। यही कारण है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विघटन के स्थान पर परिवर्तन होता रहा और यह स्वयं को नष्ट होने से बचाने में कामयाब रहा। इसी अनुकूलनशीलता के कारण कहा भी गया है कि *"यूनान, मिस्र, रोमाँ सब मिट गए जहाँ से/ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।"*

वर्णाश्रम व्यवस्था *(Varna System)*

वर्ण एवं आश्रमों की व्यवस्था भी भारतीय समाज की एक विशेषता है। यहाँ समाज में श्रम विभाजन के लिये चार वर्णों- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गयी। इनमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया और उन्हें बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक के रूप में माना गया। उसके बाद क्षत्रियों को रखा गया जो शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। तीसरे पदानुक्रम पर वैश्यों को रखा गया जो भरण-पोषण एवं अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। शूद्र, जिन्हें चौथे एवं अन्तिम पायदान पर रखा गया, अन्य सभी वर्णों की सेवा करते हैं। गौरतलब है कि वर्णाश्रम व्यवस्था अपने शुरुआती रूप में व्यक्तियों की योग्यताओं के आधार पर श्रम विभाजन करने की प्रणाली थी किंतु कालांतर में यह जन्म पर आधारित हो गई तथा यह नकारात्मक भूमिका निभाने लगी। आज भी भारतीय समाज में भेदभाव की सबसे प्रचलित प्रणाली वर्ण व्यवस्था पर ही टिकी है।

प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों ने मनुष्य के लिये चार आश्रमों-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था भी की थी। जहाँ वर्ण मनुष्यों के बीच कार्य विभाजन को इंगित करते हैं वहीं आश्रम उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं। प्रत्येक 25 वर्षों के बाद व्यक्ति नए आश्रम में प्रवेश करता है और उसकी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ बदलती जाती हैं।

जाति-व्यवस्था *(Caste System)*

जाति-व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज को कई भागों व उपभागों में बाँटा गया है। जन्म से ही जाति की सदस्यता प्राप्त होती है तथा प्रत्येक जाति का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। इनके खान-पान एवं सामाजिक गतिविधियों के नियम हैं तथा इनमें एक परम्परागत व्यवसाय भी पाया जाता है। प्राचीन काल के चार वर्ण- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही कालान्तर में विभिन्न जातियों के रूप में विभाजित होते गये। जाति व्यवस्था भारतीय समाज को अनेक ढंग से प्रभावित करती रही है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में यह व्यक्तियों के बीच ऊँच-नीच और भेदभाव बनाए रखने के लिये काफी हद तक ज़िम्मेदार मानी जाती है। पिछले कुछ समय में यह लोकतांत्रिक राजनीति में हित समूह, दबाव समूह और वोट बैंक की भूमिका भी निभाने लगी है।

कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त *(Doctrine of Karma and Reincarnation)*

भारतीय समाज में कर्म को काफ़ी महत्त्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा जबकि बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति पुनः किस योनि में जन्म लेगा, यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वालों को उच्च योनि में जबकि बुरे कर्म करने वालों को निम्न योनि में जन्म लेना होता है। उच्च योनि में जन्म लेने वाले सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं जबकि निम्न योनि में जन्म लेने वालों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं।

संयुक्त परिवार *(Joint Family)*

अति प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन रहा है। इसमें सामान्यत: दो या तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। सभी सदस्य परिवार के मुखिया के अधीन होते हैं तथा संपत्ति व उत्तरदायित्वों का बँटवारा करते हैं। ग्रामीण भारत में इस प्रथा को जन्म देने में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भूमि का बँटवारा रोकने की कोशिश, वृद्धावस्था में सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा की ज़रूरत जैसे कारक इसे मज़बूती प्रदान करते हैं। शहरों के निम्न वर्ग तथा मध्य वर्ग में यह व्यवस्था प्राय: नहीं दिखती किंतु आज भी बड़े शहरों में उच्च वर्गों के परिवारों में यह व्यवस्था देखी जा सकती है। इसका कारण यह है कि उच्च वर्ग न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम है बल्कि एक ही स्थान पर टिके रहने की क्षमता भी रखता है जबकि निम्न और मध्यम वर्गों के पास ये दोनों सुविधाएँ नहीं होतीं।

पुरुषार्थ की अवधारणा *(Concept of Purushartha)*

भारतीय परम्परा में जीवन का ध्येय पुरुषार्थ को माना गया है। पुरुषार्थ की संख्या चार बताई गयी है: धर्म (Religion or Righteousness), अर्थ (Wealth), काम (Work, Desire and Sex) और मोक्ष (Salvation or Liberation)। इसमें धर्म से आशय अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से है। हर मनुष्य के लिये कुछ कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया है और उसे इनका पालन करना चाहिये। वही उसके धर्म का पालन भी है। अर्थ से तात्पर्य है- ऐसे कर्म जिनके द्वारा भौतिक सुख-समृद्धि की सिद्धि होती हो। काम की अवधारणा में संसार के सुखों को शामिल किया गया है। जिन व्यक्तिगत सुखों से परिवार और समाज को हानि होती है, उन्हें वर्जित माना गया है। मोक्ष का अर्थ है- जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति और संसार में आवागमन से मुक्ति। मोक्ष भारतीय समाज का चरम लक्ष्य समझा गया है। माना गया है कि प्रत्येक प्राणी को मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये। कुछ अपवादों को छोड़कर समूचे भारतीय दर्शन में मोक्ष को सर्वोच्च आदर्श माना गया है।

संस्कार *(Sanskara)*

संस्कार से तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय समाज में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धि आवश्यक मानी गयी है और इसके लिये कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जैसे- नामकरण, विद्यारम्भ, उपनयन, गर्भाधान, विवाह एवं अन्त्येष्टि आदि। इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी विशेष स्थिति और आयु में उसके सामाजिक कर्त्तव्यों का अवबोध कराना है।

भारत की सामाजिक विविधता *(Social diversity of India)*

भारत विविधताओं और बहुलताओं का देश है। यहाँ के जीवन के प्रत्येक पहलू में विविधता विद्यमान है। यहाँ भाषायी, धार्मिक, प्रजातीय, सांस्कृतिक आदि विविधताएँ सहज ही देखी जा सकती हैं। खास बात यह है कि भारतीय समाज किसी एकशिलात्मक समाज (Monolithic Society) की तरह किसी एक परंपरा के पक्ष में बाकी सामाजिक समूहों के साथ भेदभाव या गलत व्यवहार नहीं करता बल्कि प्रत्येक समूह को उसकी विशेषताओं के साथ सहज रूप में स्वीकार करता है। इसलिये भारतीय संस्कृति को 'सामासिक संस्कृति' (Composite Culture) कहा जाता है। इस विशेषता को आजकल 'बहुसंस्कृतिवाद' (Multiculturalism) भी कहा जाता है।

भारतीय समाज की विविधताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

(क) प्रजातीय विविधता *(Racial Diversity)*

प्रजाति या नस्ल से आशय ऐसे लोगों के समूह से है जिनमें त्वचा के रंग, नाक के आकार, बालों के प्रकार आदि आधार पर कुछ स्थायी प्रकार की शारीरिक विशेषताएँ होती हैं। भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सर हरबर्ट रिज़ले (Herbert Risley), जे. एच. हट्टन तथा बिरजा शंकर गुहा (Biraja Shanker Guha) जैसे प्रख्यात मानवशास्त्रियों ने अपने-अपने तरीके

से किया है। इनमें गुहा द्वारा 1931 की जनगणना रिपोर्ट में किया गया वर्गीकरण व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के लोगों को निम्नलिखित छह प्रजातियों या नस्लों में विभक्त किया–

1. **नीग्रिटो (Negrito):** यह काले रंग की त्वचा वाली और भारत आने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति है। चौड़ा सिर, घुंघराले बाल और मोटे होंठ इनकी विशेषताएँ है। अंडमान-निकोबार की जारवा, ओंग और दक्षिण भारत की कादार, इरूला और पनियन जैसी जनजातियों को इस संवर्ग में रखा जा सकता है। इस प्रजाति का ज़्यादा संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है।
2. **प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड (Proto-Australoid or Austrics):** भारत के मध्य क्षेत्र में रहने वाली कुछ प्रजातियाँ इसके अन्तर्गत आती हैं। इनमें हो, भील आदि आदिवासी समूहों को रखा गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएँ बड़ा सिर, छोटा माथा एवं ठोड़ी, छोटी नाक और गहरी भूरी त्वचा हैं। माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी।
3. **मंगोलॉयड (Mongoloid):** मंगोलॉयड मूलत: एशिया का प्रजातीय समूह है। इसमें उत्तरी एवं पूर्वी एशिया के लोग शामिल हैं। भारत के उत्तर-पूर्व में रहने वाले कई समुदायों को इस प्रजाति वर्ग में रखा गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएँ पीली त्वचा, भारी पलकें, छोटी आँखें और मध्यम ऊँचाई हैं।
4. **भूमध्य-सागरीय या द्रविड़ (Mediterranean or Dravidian):** इस प्रजाति के लोग सिंधु सभ्यता से लेकर दक्षिण भारत तक में मिलते हैं। इनके तीन उपप्रकार हैं- वास्तविक भूमध्यसागरीय (True Mediterranean), पेलियो-भूमध्यसागरीय (Paleo-Mediterranean), और ओरियंटल भूमध्यसागरीय (Oriental Mediterranean)।
5. **पश्चिमी लघुकपाल (Western Brachycephals):** अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनाइड प्रजाति के एक उपसमूह का नाम पश्चिमी लघुकपाल रखा गया है। इनमें मैसूर के कुर्ग (Coorgis) और पारसी (Parsis) समुदाय को रखा गया है।
6. **नॉर्डिक या उदीच्य (Nordics):** नॉर्डिक सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ लंबा कद, लंबा सिर, और नीली आँखें हैं। यह प्रजाति पश्चिमी यूरोप और मध्य एशियाई देशों में पाई जाती है। इन्हें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में देखा जा सकता है।

(ख) भाषायी विविधता *(Linguistic Diversity)*

भारत में अनेक भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं। भारत के विभिन्न प्रान्तों में अनेक भाषाएँ अस्तित्व में हैं जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों को परस्पर अलग भी कर देती हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 222 है। संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली शामिल हैं। यहाँ की भाषाओं को विभिन्न लिपियों में लिखा जाता है जो भारत की विविधता का द्योतक है। भारत की कुछ प्रचलित लिपियों में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, तेलुगु, मलयालम आदि हैं।

अगर भारत की सभी भाषाओं, उप-भाषाओं और बोलियों को एक साथ गिना जाए तो उनकी संख्या 1600 से अधिक हो जाती है। ऐसा भाषायी वैविध्य कम ही समाजों में दिखाई पड़ता है।

भारतीय भाषाओं को कुछ भाषा परिवारों में बाँटा जा सकता है। इनकी चर्चा नीचे की गई है–

1. **भारतीय आर्य-भाषा परिवार:** विश्व के भाषा परिवारों में से एक भारोपीय (भारतीय-यूरोपीय) भाषा परिवार (Indo-European Family) का एक उपविभाजन भारतीय आर्यभाषा (Indo-Aryan or Indic) कहलाता है। भारत की दो-तिहाई से अधिक आबादी भारतीय आर्यभाषा परिवार की किसी न किसी भाषा का प्रयोग करती है जिसमें संस्कृत समेत मुख्यत: उत्तरी व पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ व पूर्वी भारत की कुछ भाषाएँ जैसे हिन्दी, उर्दू, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी इत्यादि शामिल हैं।

2. **द्रविड़ भाषा परिवार:** द्रविड़ भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषायी परिवार है। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल भाषा है। इसी तरह कर्नाटक में कन्नड़ एवं दक्षिण कर्नाटक में तुलु, केरल में मलयालम और आंध्रप्रदेश में तेलुगु इस परिवार की बड़ी भाषाएँ हैं।
3. **ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार:** ऑस्ट्रो-एशियाटिक या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में संथाली, कोल, मुंडा आदि भाषाओं को रखा गया है। इस प्राचीन भाषा परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती हैं।
4. **चीनी-तिब्बती भाषा परिवार:** चीनी-तिब्बती भाषा परिवार की ज़्यादातर भाषाएँ पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती हैं। इस परिवार पर चीनी और आर्य परिवार की भाषाओं का मिश्रित प्रभाव पाया जाता है और सबसे छोटा भाषायी परिवार होने के बावजूद इस परिवार की सदस्य भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। इस परिवार की मुख्य भाषाओं में नगा, मिज़ो, म्हार, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, तथा आओ इत्यादि भाषाएँ शामिल हैं। इन्हें 'नगा परिवार' की भाषाएँ भी कहा गया है।
5. **अंडमानी भाषा परिवार:** अंडमानी भाषा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा भाषायी परिवार है। इसके अंतर्गत अंडमान-निकाबोर द्वीप समूह की भाषाएँ आती हैं, जिनमें प्रमुख हैं- अंडमानी, ग्रेड अंडमानी, ओंग, जारवा आदि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में भाषायी विविधता भी वृहद स्तर पर है।

(ग) धार्मिक विविधता *(Religious Diversity)*

भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग धर्मों जैसे हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन पारसी, यहूदी तथा कुछ जनजातीय धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में हिन्दू 80.5 प्रतिशत, मुसलमान 13.4 प्रतिशत, ईसाई 2.3, सिख 1.9, बौद्ध 0.8, जैन 0.4, और अन्य धर्मों को मानने वाले का प्रतिशत 0.6 है। इनमें से प्रत्येक धर्म भी कई मतों में बँटा हुआ है। प्रमुख धार्मिक समूहों का परिचय निम्नलिखित हैं-

1. **हिन्दू धर्म:** हिन्दू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। ऐतिहासिक रूप से जो वैदिक धर्म था, वही बदले हुए रूप में हिन्दू ध र्म कहलाता है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार जैसी व्यवस्थाएँ, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, इसी धर्म में प्रचलित हैं। हिन्दू धर्म विभिन्न संप्रदायों जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त में बँटा हुआ है। इन संप्रदायों के भी उपसंप्रदाय हैं, जैसे शैव संप्रदाय के लोग वीरशैव, कालामुख आदि उपसंप्रदायों में विभाजित हैं। हिन्दू धर्म में कई सुधार आंदोलन चले जिसके कारण इसके और उपविभाजन सामने आये। इनमें से एक विभाजन सनातन और आर्य समाज में हुआ। इसके अलावा हिन्दू धर्म में रामभक्ति, कृष्ण भक्ति, कबीर पंथी और नाथ पंथी आदि की भी विशद परंपरा है। विचारधारा के स्तर पर भी हिन्दू धर्म में कई मत सामने आते रहे हैं जिनमें रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद को ज़्यादा स्वीकार्यता मिली।
2. **इस्लाम धर्म:** इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। भारत में मुसलमानों का संकेंद्रण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्यों में ज़्यादा है। यहाँ के मुसलमान भी शेष दुनिया की तरह मोटे तौर पर सुन्नी और शिया संप्रदायों में विभक्त हैं। भारत में रहने वाले दो-तिहाई मुसलमान सुन्नी मत को मानते हैं। इन दोनों मतों के अपने कई उपसंप्रदाय भी हैं। सुन्नी संप्रदाय हनफी, शफीह, मालिकी आदि उपसंप्रदायों में तथा शिया मुसलमान इस्माइली, जाफरी आदि उपशाखाओं में बँटे हुए हैं। सूफी परंपरा भी मुस्लमानों की एक विशिष्ट परंपरा है जिसमें रहस्यवाद का तत्त्व शामिल है। भारत में विकसित हुए इस्लाम धर्म में सूफियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

   इस्लाम धर्म मूलत: समतामूलक है किंतु भारतीय मुसलमानों में ऊँच-नीच दिखाई पड़ती है। सबसे ऊँचे स्तर पर अशरफ मुसलमान हैं। माना जाता है ये कि बाहर से आने वाले मुसलमानों के वंशज हैं। भारत के अधिकांश मुसलमान वे हैं जो हिन्दू धर्म की निम्न जातियों से इस्लाम में धर्मांतरित हुए। इन्हें पसमांदा मुसलमान कहा जाता है। इनमें भी जिनकी स्थिति कुछ ठीक है, वे अफजल तथा सबसे कमज़ोर स्थिति वाले मुसलमान अरजल कहलाते हैं।

3. **ईसाई धर्मः** भारत में ईसाई धर्म की उपस्थिति पूरे देश में है लेकिन उनका संकेंद्रण केरल, तमिलनाडु, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा है। यहाँ के ईसाई मुख्य तौर पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतों में विभाजित हैं। कैथोलिक लोग चर्च को ज़्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं जबकि प्रोटेस्टैंट लोग कम। कैथोलिकों में मूर्तिपूजा का प्रचलन है जबकि प्रोटेस्टैंट में मूर्तिपूजा को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत के ईसाई हिन्दू और मुसलमानों की तरह सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं, जैसे केरल का ईसाई समुदाय उच्च और निम्न हैसियत वाले व्यक्तियों के वर्गों में बँटा हुआ है। उच्च सामाजिक स्थिति वाले ईसाई 'सीरियन ईसाई' कहलाते हैं जबकि दूसरी तरफ 'न्यू राईट ईसाई' या 'लैटिन ईसाई' हैं जिन्हें हिन्दू धर्म के दलितों की तरह समझा जा सकता है।
4. **सिख धर्मः** सिख धर्म के अनुयायियों का संकेंद्रण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू के क्षेत्रों में ज़्यादा है। मूल तौर पर सिख धर्म में जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया गया और प्रत्येक पुरुष को अपने नाम के आगे 'सिंह' और प्रत्येक महिला को 'कौर' लिखने को कहा गया। लेकिन समय बीतने के साथ सिखों में भी जाति व्यवस्था के अवगुण दिखने लगे। सामाजिक पदानुक्रम में निचले स्थान पर रहने वालों को मजहबी सिख कहा गया और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में उनके लिये अलग गुरुद्वारे बने गये। अभी भी सिखों में 'जट सिख' समूह ताकतवर माना जाता है जबकि निम्न जातियों से सिख बने समूह (जैसे चमार सिख) कमज़ोर माने जाते हैं। गौरतलब है कि सिख धर्म से विकसित हुई 'डेरा परंपरा' का भी धार्मिक विविधता को बढ़ाने में योगदान रहा है।
5. **बौद्ध धर्मः** बौद्ध धर्म भारत में कभी बेहद शक्तिशाली धर्म बन गया था और उसे अनेक प्रतापी वंशों और राजाओं का संरक्षण हासिल था। बाद में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या पर उभरे मतभेदों के कारण इनके दो उपसंप्रदाय हीनयान और महायान अस्तित्व में आये। समय बीतने के साथ ही बौद्ध धर्म विलुप्त होने की हालत में आ गया। सन् 1953 में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की हिन्दू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घोषणा के साथ बौद्ध धर्म में एक नई हलचल देखी गयी। डॉ. अम्बेडकर ने हीनयान या महायान शाखाओं को अस्वीकार करते हुये कहा कि हमारा बौद्ध धर्म नया बौद्ध धर्म 'नवयान' (Navayana) है। इस परंपरा को 'नवबौद्ध मत' (Neo Buddhism) या 'पश्चिमी बौद्धमत' की संज्ञा दी जाती है। नवबौद्धों का संकेंद्रण महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक है।
6. **जैन धर्मः** जैन धर्म बौद्ध धर्म के समकालीन ही विकसित हुआ। अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि इस धर्म के केंद्रीय विचार हैं। जैन अनुयायी दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगम्बर में बँटे हुए हैं। इनमें दिगम्बर संप्रदाय के लोग धर्म संबंधी मान्यताओं का कठारेता से पालन करते हैं जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में लचीलापन दिखाई पड़ता है। जैन धर्म के लोगों का संकेंद्रण महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा है।
7. **अन्य धर्मः** देश में इन प्रमुख धर्मों के अलावा पारसी, यहूदी और आदिवासी धर्मों को मानने वाले भी बड़ी संख्या में रहते हैं। पारसी धर्म के लोग मूल रूप से ईरान से भारत आये और यहीं बस गये। अधिकांश पारसी मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं। यहूदी धर्म के अनुयायी बहुत कम संख्या में हैं। देश के अधिकांश यहूदी कोचीन और महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं। आदिवासी समुदायों के लोग अपने-अपने विशिष्ट धर्मों में विश्वास रखते हैं।

इस तरह भारत को धार्मिक विविधताओं का देश कहा जा सकता है।

(घ) सांस्कृतिक विविधता *(Cultural Diversity)*

भारत में विभिन्न स्तरों पर सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। राज्यवार देखें तो यहाँ के सभी राज्यों की संस्कृति एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्न है। लोगों का खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, सोचने का तरीका, अभिवृत्तियाँ, नृत्य, संगीत और अन्य कलाएँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की हैं। दूसरे स्तर पर हमें एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी भिन्न संस्कृति के आयाम दिखने लगते हैं। जैसे उतराखंड राज्य में गढ़वाली और कुमाऊँनी संस्कृति क्षेत्र मिलते हैं। राजस्थान में मारवाड़, शेखावटी, ढूंढार, मेवाड़ आदि; उत्तरप्रदेश में ब्रज, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, अवधी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रूहेलखंड आदि; गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ आदि; बिहार में भोजपुरी, मगही और मिथिला क्षेत्र एक ही राज्य में कई संस्कृतियाँ होने के प्रमुख उदाहरण हैं। इन सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कई उपक्षेत्र हैं जिनकी अपनी विशिष्टताएँ होती हैं।

आंतरिक सुरक्षा

विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध
(Linkages Between Development and Spread of Extremism)

विकास की अवधारणा एवं भारत में विकास
(Concept of Development and Development in India)

विकास को एक बहुपक्षीय विषय के रूप में देखा जा सकता है। इसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, समाज में महिलाओं की स्थिति, पोषण तथा आवास की उपलब्धता, वस्तुओं और सेवाओं तक लोगों की पहुँच आदि को शामिल किया जा सकता है।

भारत में अनेक राज्य हैं तथा इन राज्यों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास में असमानताएँ हैं। विभिन्न राज्यों में गरीबी, भुखमरी, आवास सम्बन्धी समस्याएँ व्याप्त हैं। बेकारी अथवा बेरोजगारी सबसे प्रमुख समस्या है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण मांग एवं पूर्ति में अन्तर ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

विकास के लाभों का असमान वितरण एक ऐसे सापेक्षिक वंचना के भाव को जन्म देता है जो वंचित एवं बहिष्कृत वर्गों में व्यवस्था की विश्वसनीयता को धूमिल कर देता है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय किसी व्यवस्था से अपनापन तभी महसूस करता है जब उसे इस बात का विश्वास हो कि उसकी बुनियादी आवश्यकताओं, उसके मौलिक अधिकार, उसकी सभ्यता व संस्कृति के प्रति सरकार संवेदनशील है। सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति शासन की संवेदनशीलता इसकी कसौटी है।

1990 के दशक में नई आर्थिक नीति को अपनाए जाने के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन व्यवस्था में विभिन्न स्तर पर बिचौलियों की उपस्थिति, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से आधारभूत स्तर (ग्राम स्तर) पर खासकर आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों में आम जनता के शोषण के कई साधन (जैसे साहूकारी प्रथा आदि) विद्यमान रहे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विकास समावेशी नहीं था। अतः बेरोजगारी एवं असमान विकास से उपजे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन से अलगाववाद एवं अलग व्यवस्था के पक्षधर लोगों को बढ़ावा मिला है और यह उग्रवाद के रूप में सामने आया है।

उग्रवाद का अर्थ *(Meaning of Extremism)*

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे व्यक्ति या समूह जो लोकतंत्र की जगह एक ऐसी व्यवस्था के पक्षधर हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को महत्त्व न देते हुए हिंसक गतिविधियों का उपयोग कर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उग्रवादी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी विचारधारा ही उग्रवाद है।

उग्रवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति या समुदाय किसी अन्य मत अथवा विचार को सहन नहीं करता बल्कि हिंसक साधनों व बल प्रयोग के जरिये अपना दर्शन या अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। उग्रवाद के मूल तत्त्वों या विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

- उग्रवाद अपनी मानसिकता में सर्वाधिकारवादी (absolutist) होता है और अवैधानिक और हिंसक उपायों के जरिये यह अपनी नाजायज मांगों को मनवाने का प्रयास करता है।
- उग्रवाद एक विश्वसनीय न्याय प्रणाली के अभाव और राजनीति की एक विश्वसनीय व सहभागिता मूलक प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप उभरता है।
- उग्रवाद का स्वरूप व प्रकृति राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक कुछ भी हो सकती है। यह शाश्वत असंतोष व कुंठा, हताशा एवं अतार्किकता का परिणाम है।

इस तरह उग्रवाद के कई चेहरे हैं और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये ये सबसे गंभीर खतरों में से एक हैं।

विकास तथा वामपंथी उग्रवाद में संबंध *(Linkages Between Development and Left Wing Extremism)*

वामपंथी उग्रवाद आज देश के कई क्षेत्रों में फैल गया है तथा इसका विस्तार अभी जारी है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव में 1967 में शुरू हुए किसान विद्रोह से हुई। इसे नक्सलवादी आंदोलन कहा गया। धीरे-धीरे देश के 18 राज्यों में फैलकर यह आतंक का लाल गलियारा बन गया है तथा पूर्वी राज्यों में हिंसक आक्रमणों के रूप में सामने आया है। नक्सलवादी आंदोलन भौगोलिक रूप से दुर्गम इस भाग में व्याप्त कुशासन की उपज थी लेकिन बाहरी देशों से मिलने वाले सहयोग तथा प्रशासनिक संवेदनहीनता के कारण यह फैलता चला गया।

वर्ष 1969 में कन्हाई चटर्जी (सीपीआई मार्क्सवादी सदस्य) ने 'दक्षिण देश' नामक एक समूह का गठन किया। 1968-69 में उग्रवादी वामपंथी तत्त्वों ने CPI(M) के भीतर ही अपने को ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज (AICCCR) के बैनर तले संगठित किया।

22 अप्रैल, 1969 को अंतर्राष्ट्रीय लेनिन दिवस के अवसर पर CPI(M) के भीतर का समूह AICCCR टूट गया और इसी के साथ चारू मजूमदार के नेतृत्व में CPI(ML) का गठन किया गया। दूसरी ओर AICCCR से अलग हुए तारीमेला नागी रेड्डी ने कमिटी ऑफ रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट्स का गठन किया। बाद में यह CPI(ML) का भाग बन गया।

20 अक्तूबर, 1969 को कन्हाई चटर्जी का दक्षिण देश समूह CPI(M) से अलग हो गया और मतभेद की वजह यह थी कि माओत्से तुंग की विचारधारा अपनाई जाए या कार्ल मार्क्स की। वर्ष 1980 में कोंडापल्ली सीतारमैया ने सेन्ट्रल ऑर्गनाइजिंग कमिटी CPI(ML) से अलग होकर CPI(ML) (People's War Group, PWG) का गठन आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में किया। एक उल्लेखनीय समझौते के अंतर्गत पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) तथा भारतीय माओवादी साम्यवादी केंद्र (MCC) ने मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- माओवादी (CPI-माओवादी) का 2004 में गठन किया।

पिछले तीन दशकों से वामपंथी उग्रवादी आंदोलन गुटबंदी का शिकार है। गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) कानून (1967) के तहत सभी प्रकार के नक्सलवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। वर्तमान में यह वामपंथी उग्रवाद देश के 18 राज्यों के 218 जिलों में फैल चुका है। हालाँकि यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा शुरू किये गए। बहुआयामी उपायों के कारण पिछले पाँच वर्षों में अर्थात 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में काफी कमी आयी है।

वामपंथी उग्रवादी मानते हैं कि भारत में आज भी उपनिवेशवादी, ज़मींदारी, जागीरदारी के अवशेष बचे हुए हैं जो समाज में हाशिए पर के लोगों का शोषण करते हैं। उनका यह भी कहना है कि भारत जैसे अर्द्ध सामंती देश में असंतुलित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है जिसके विरुद्ध वे गुरिल्ला युद्ध पद्धति से सशस्त्र संघर्ष जारी रखे हुए हैं।

अक्तूबर, 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री ने माओवादी समस्या को पहली बार 'गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती' बताया। बस्तर के अबुझमाड़ वन में पीपुल्स वार ग्रुप द्वारा तीसरे कांग्रेस के आयोजन के बाद से उग्रवादियों की सक्रियता में वृद्धि हुई है। हाल के समय में माओवादियों ने ऐसे क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लेने के प्रयास तेज करने में सक्रियता दिखाई है, जहाँ उनकी उपस्थिति नहीं है और जो उनके लिये नये हैं। ऐसे क्षेत्रों में शामिल हैं- उत्तराखंड के कुछ हिस्से, तमिलनाडु में धर्मापुरी, सलेम, कोयम्बटूर, मदुरई, थेनी और कोडाईकनाल और कर्नाटक में बेलारी, शिमोगा, उडुपी, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ एवं कोलार।

वामपंथी उग्रवाद के कारण *(Causes of Left Wing Extremism)*

इस समस्या के मूल में निम्नलिखित सामान्य कारक सामने आए हैं:

1. **भौगोलिक कारक**- वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र भौगोलिक रूप से दुर्गम हैं। वहाँ तक पहुँच कठिन है।
2. **सामाजिक और आर्थिक कारक**- सामाजिक एवं आर्थिक कारकों में वर्ग एवं जातिगत समस्याएँ, गरीबी, इसके अलावा लाभकारी रोजगार की कमी, औद्योगीकरण का निम्न स्तर तथा भूमि-अधिकार सम्बन्धी मुद्दे शामिल हैं।

3. **सुशासन की कमी**- सुशासन की कमी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच की कमी, पीने का पानी, शिकायत निवारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि तक पहुँच का न होना आदि को इसके अन्तर्गत रखा जाता है।
4. **अन्य कारक**- धर्म एवं धर्म परिवर्तन के मुद्दे, नशीले पदार्थों की तस्करी, पर्यावरण की रक्षा जनजातियों का विस्थापन, कॉरपोरेट शोषण, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि अन्य कारक हैं। ये क्षेत्र सघन वन आच्छादित क्षेत्र भी हैं।

   अन्य संस्थाओं से संबंध जुड़ने के कारण इस लाल गलियारे में स्थित कई क्षेत्रों की स्थिति अब ज़्यादा दयनीय हो गई है।

वामपंथी उग्रवाद का निम्न कारणों से विस्तार हो रहा है:

1. **संघर्ष का नए क्षेत्रों में विस्तार**- जब सशस्त्र बलों की कार्रवाई नक्सलियों को उनके आश्रय स्थलों से अस्थायी रूप से बाहर धकेल देती है तो वे अन्य राज्यों का प्रयोग पुनर्संगठित होने तथा पुन: हथियार उठाने के लिये करते हैं। उग्रवादियों के छोटे परंतु प्रभावकारी समूह देश के विभिन्न भागों में आक्रमण करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं।
2. **राज्य विरोधी तत्त्वों का सहयोग**- नए राज्यों की सीमाओं में घुसकर वे अन्य उपद्रवी गुटों से जुड़ जाते हैं, जिनकी विचारधारा भले ही अलग हो परंतु वे राज्य विरोधी होते हैं। इससे नक्सलियों को वहाँ अड्डे बनाने में सुविधा होती है। इस सम्बन्ध में नक्सलवादियों, जम्मू-कश्मीर के आजादी समर्थक गुटों और ULFA के बीच सहयोग की खबरें चर्चा में हैं।
3. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**- देश की गुप्तचर संस्थाओं को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि भारतीय नक्सलवाद को अंतर्राष्ट्रीय माओवादी संगठन वित्तीय और वैचारिक सहयोग दे रहा है। इसके साथ-साथ भारत में वामपंथी उग्रवाद अथवा नक्सल आंदोलन को आतंकी संगठनों के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है जिससे यह समस्या और बढ़ रही है।

भारत की विकास नीति और वामपंथी उग्रवाद पर कुछ विचार
(Few Ideas on India's Development Policy and Left Wing Extremism)

1. भारत में विकास तथा वामपंथी उग्रवाद के बीच सम्बन्धों पर समय-समय पर अनेक विचार सामने आए हैं। यह माना जाता है कि लोगों के पास आर्थिक अवसरों की कमी है और वे विकास से प्राप्त लाभों से वंचित हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े ये समूह अपने को पक्षपात का शिकार समझते हैं। उन्हें असामाजिक तत्त्वों द्वारा आसानी से अपनी ओर मोड़ लिया जाता है। ऐसे साक्ष्य हैं कि कई क्षेत्रों में आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध के बढ़ते मामले, कानून व्यवस्था आदि सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़े हैं।
2. भारत के कई क्षेत्रों में भूमि सुधार नीतियाँ सफल नहीं हो सकीं जिससे नक्सल आंदोलन का जन्म और इसका विस्तार हुआ। भूमि सुधार के लिये किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ नक्सली विद्रोह आज एक राजनीतिक व हिंसक आंदोलन बन गया है।
3. जनजातीय लोग समय-समय पर भूमि की बेदखली से पीड़ित रहे हैं। 1980 के दशक में विकास परियोजनाओं के नाम पर इन जनजातियों को उनकी भूमि से बड़े पैमाने पर बेदखल कर दिया गया।
4. असमान एवं अल्प विकास, वर्ग और जाति का विभेद, कुशासन तथा सरकार में व्याप्त निष्क्रियता के कारण नक्सलियों ने अपनी गतिविधियाँ पूर्वी भारत के कठिन क्षेत्रों में बढ़ा दीं। ग्रामीण जनसंख्या के साथ होने वाला भेदभाव वामपंथियों को उन क्षेत्रों में मजबूत आधार बनाने में मदद करता है।
5. अधिग्रहण द्वारा अविकसित पर संसाधन संपन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खनन कार्य शुरू किया गया। इसमें सर्वाधिक भूमि पर जनजातियों या आदिवासियों का अधिकार था। परिणामस्वरूप लाखों आदिवासी विस्थापित हुए और उन आदिवासियों को सरकार द्वारा अन्यत्र पुनर्स्थापित किया गया।

6. 1980 में लागू वन सुरक्षा कानून देश के प्राकृतिक संसाधनों को शोषण से बचाने का प्रयास था। वन सुरक्षा कानून ने अनावश्यक रूप से कई जनजातीय गाँवों के अस्तित्त्व को समाप्त कर दिया। जहाँ इन क्षेत्रों को सुरक्षित वन के रूप में बाँटा गया था, वहाँ के लोगों के पारंपरिक व्यवसाय उनसे छिन गए। जो लोग वन संसाधनों का संपोषणीय उपयोग करके आजीविका चला रहे थे, उन्हें सर्वाधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
7. इस कानून ने पीढ़ियों से जंगल में रह रही जनजातियों का ध्यान नहीं रखा जिससे उनमें असंतोष पनपा। वर्ष 2008 में एक संशोधन द्वारा जनजातियों के अधिकारों को वन कानून तथा वन उत्पाद में शामिल किया गया परंतु सरकार के प्रति असंतोष में कोई कमी नहीं आई।
8. वन क्षेत्रों से जनजातियों को हटाए जाने तथा संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों में खनन होने से जनजातियों तथा गैर-जनजातियों में विभाजन और बढ़ा है, लेकिन जनजातीय गरीबी में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी चुनौतियों के आकलन हेतु योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट (2008) *(Planning Commission's Expert Committee Report (2008) for Assessing Development Challenges in Extremism Affected Areas)*

पूर्ववर्ती योजना आयोग ने वर्ष 2006 में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चुनौतियों संबंधी पहचान के लिये एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था जिसने अप्रैल 2008 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में असंतोष, हताशा आदि को ध्यान में रखकर भूमि विक्रय, विस्थापन, वन उत्पादों पर स्वामित्व, शोषण पर लगाम आदि विषयों पर सिफारिशें दीं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 58 प्रतिशत श्रम बल कृषि व उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। भारत में भूमि और जीविकोपार्जन के मध्य गहरा संबंध है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के नाम पर बड़े औद्योगिक संयंत्रों को लगाने हेतु भूमि का अधिग्रहण, विक्रय जैसी स्थितियाँ, विस्थापन आदि आदिवासियों की सामुदायिक संस्कृति व जीविकोपार्जन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में विकासजनित असमानता और चरमपंथ के मध्य संबंध सहज ही विकसित हो जाता है।

योजना आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नक्सली आंदोलन को मुख्य समर्थन अनुसूचित जाति (दलित), आदिवासी व महिलाओं से प्राप्त हुआ है। भारत की जनसंख्या में इनका योगदान क्रमशः 16 व 8 प्रतिशत है। इनमें से अधिकांश दलित व आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। उच्च स्तरीय ग्रामीण निर्धनता उन्हें कई अवैधानिक कार्यों को अपनाने के लिये विवश करती है।

बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उच्च स्तर पर ग्रामीण निर्धनता विद्यमान है और ये राज्य रेड कॉरिडोर (लाल गलियारा) के दायरे में आते हैं। 55.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में निवास करती है। इन्हें उपयुक्त ढंग से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

वर्ष 2004–05 में ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे निवास कर रही थी वहीं आदिवासियों के संदर्भ में यही आँकड़ा क्रमशः 47.3 प्रतिशत व 33.3 प्रतिशत था। इन समुदायों के मध्य साक्षरता व शिक्षा का भी समुचित प्रसार नहीं हो पाया। सीमित रोजगार तथा अवसरों से वंचित ये वर्ग जाति, नृजाति, रंग आदि आधारों पर विषमता का दंश झेल रहे हैं और उनके मन में सापेक्षिक वंचना का भाव भरा है। ये वर्ग राजनीतिक हाशिये पर हैं और अपने हितों को साधने के लिये राजनीति के उपकरण का सशक्त प्रयोग नहीं कर पाए हैं।

योजना आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओडिशा में सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापन के शिकार लोग आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के जंगलों में पलायन कर गए। नक्सली आंदोलन के कारण उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सका है। ओडिशा के जो प्रवासी आंध्र प्रदेश गए, उनको सर्वप्रथम समन्था जनजाति (Samantha Tribe) के रूप में मान्यता दी गई लेकिन उनका आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई उल्लेख नहीं है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में इन संदर्भों को ध्यान में रखकर समावेशी विकास की संतुलित रणनीति बनाई जाए तो कुछ हद तक ही सही लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वृहद् परियोजनाओं के कारण हुआ विस्थापन ही पलायन का एकमात्र कारण नहीं है बल्कि भूमिविहीनता, गंभीर निर्धनता और सामाजिक शोषण भी विस्थापन के प्रमुख कारणों में

हैं। छत्तीसगढ़ की भूमिहीन मुरिया अथवा गोथी (Gothi) कोया जनजाति लंबे समय से अपना राज्य छोड़कर आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में जंगलों में नक्सलियों की सहायता से भूमि की खोज में पलायन कर रही है। लेकिन मुरिया अथवा गोथी कोया को आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थान नहीं मिला है। इस प्रकार योजना आयोग की रिपोर्ट में असंतुलित विकास जनित उग्रवाद के अन्य विविध आयामों व प्रभावों को स्पष्ट किया गया है।

कमजोर आर्थिक स्थिति वामपंथी उग्रवाद व नक्सली हिंसा का एक कारण *(Low Economic Status as a Factor of Left Wing Extremism and Naxal Violence)*

वामपंथी उग्रवाद अथवा नक्सल प्रभावित जिले देश के सबसे गरीब जिलों में आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहाँ की अर्थव्यवस्था में विविधीकरण का अभाव है तथा ये क्षेत्र सामान्य तौर पर प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि आधारित है। छोटे स्तर पर वानिकी एवं खनन कार्य मौजूद हैं जो यहाँ की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

ये क्षेत्र खनिज संसाधनों से सम्पन्न हैं। छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, ओडिशा तथा झारखंड में भारत के कोयले का 85% हिस्सा है वहीं ओडिशा में अन्य विविध खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आर्थिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता आया है लेकिन जनजातीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। उनकी स्थिति ज़्यादा दयनीय होती गई है और यही उनके असंतोष का कारण है।

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक स्थिति *(Social Status in Naxal Affected Areas)*

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जनजाति, आदिवासी अधिक संख्या में हैं जिसमें संथाल और गोंड जैसी जनजातियाँ भी शामिल हैं। बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में जातीय एवं जनजातीय दोनों विभाजन हैं तथा उनके संघर्ष से उपजी हिंसा भी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बड़ी मात्रा में जनजातीय संख्या रहती है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों में लगभग समान स्थितियाँ तथा असंतोष हैं जो वामपंथी उग्रवाद के लिये आधार तैयार करते हैं।

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तथा राज्य *(Regions and States Most Affected by Left Wing Extremism)*

एक सूचना के अनुसार देश के 18 राज्यों के 218 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, उनमें से कुछ प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं:

बिहार ***(Bihar):*** बिहार में 31 जिले माओवाद से प्रभावित बताये जाते हैं। यहाँ पर भी माओवाद पनपने के कारणों में बेरोजगारी, अल्प-विकास, भूमि का असमान वितरण के साथ-साथ पिछड़े व दलितों के साथ अन्याय तथा उनका शोषण प्रमुख कारण है।

छत्तीसगढ़ ***(Chhatisgarh):*** भारत के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ है। इसके 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इस राज्य में दंडकारण्य के घने जंगलों की अगमनीयता के कारण यहाँ नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान में दिक्कत आती है। यहाँ वामपंथी उग्रवाद पनपने के मुख्य कारणों में उत्तरदायी शासन का अभाव, पहचान का संकट, भूमि सुधार कानून की असफलता, जनजातीय भूमि पर दखल, औद्योगिक विसंगतियाँ, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में त्रुटियाँ, गरीबी और अल्पविकास आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में नक्सली अक्सर घात लगाकर हमला करते हैं जिसमें अभी तक सैकड़ों निर्दोष नागरिकों एवं सुरक्षाबलों के सैनिकों की जानें गई हैं।

झारखंड ***(Jharkhand):*** झारखंड में 18 जिले माओवाद से ग्रसित हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा यहाँ की समस्याओं पर उचित ध्यान न देना है। इससे सरकार के प्रति अविश्वास पनपा है। 2001 से सरकार ने आत्मसमर्पण करने वालों के साथ सहयोगात्मक तथा विरोध करने वालों पर दमनात्मक कार्रवाई करने की नीति अपनाई है।

नक्सलियों के सशस्त्र दल के लगभग 60 प्रतिशत लोग छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में हैं। वे यहाँ जबरन वसूली चलाते हैं जिसका मुख्य लक्ष्य यहाँ की खनन कंपनियाँ एवं फर्म है। इसी वसूली से वे लोगों को रोजगार देते हैं एवं भुगतान करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं।

आंध्र प्रदेश *(Andhra Pradesh):* अविभाजित आंध्र प्रदेश में 8 जिलों में माओवादी प्रभाव बताया गया था। रायलसीमा और उत्तरी-तटीय क्षेत्रों की अल्पविकसित दशा, भूमि का असमान वितरण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण एवं बड़े पैमाने पर बॉक्साइट खनन ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। सरकार के नक्सल विरोधी प्रयासों के कारण इस क्षेत्र में अब माओवादी गतिविधियों में कमी आई है।

पश्चिम बंगाल *(West Bengal):* 1967 में पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन इस राज्य के कई जिलों में फैल चुका है। इसकी शक्ति इस बात से आँकी जा सकती है कि नक्सलियों ने वर्ष 2009 में लालगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। इस राज्य में इसके फैलने के मुख्य कारणों में गरीबी, बेरोजगारी और ज़मीन संबंधित विवाद माने जाते हैं।

ओडिशा *(Odisha):* ओडिशा में नक्सलवाद के फैलने के कारण कमोबेश अन्य राज्यों के समान ही हैं। ओडिशा के कई क्षेत्रों में व्यापक गरीबी व भुखमरी है। स्थिति सँभालने के सरकारी प्रयास नाकाफी हैं। इस क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों पर नक्सलियों द्वारा कई हमले किये गए हैं।

कई अन्य कारण भी माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता, आजीविका विकल्पों का अभाव तथा वैचारिक कारण आदि।

वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम *(Steps Taken to Stop the Left Wing Extremism)*

वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिये सरकार ने एक बहुमुखी रणनीति अपनाई है तथा कई उपाय किये हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. **विकास:** माना जाता है कि विकास से काफी हद तक नक्सलवाद की समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये लाए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इत्यादि प्रमुख हैं।
   योजना आयोग द्वारा 82 आदिवासी और पिछड़े जिलों के तेजी से विकास के लिये एकीकृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य प्रभावित तथा उनके निकटवर्ती जिलों में लोक अवसंरचना और सेवा प्रदान करना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिये उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में 5477 किमी. सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रिहाइशी क्षेत्र के मानदंडों में 500 की जनसंख्या को घटाकर 250 कर दिया गया है। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना की राशि भी बढ़ा दी गई है।
2. **स्थानीय समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करना:** इसके अंतर्गत पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 विशेष उल्लेखनीय हैं जिनके उपबंधों द्वारा स्थानीय समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उल्लेख भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है जिसके तहत राज्य से स्थानीय निकायों को निधियाँ जारी की जाती हैं।
3. **शासन व्यवस्था में सुधार:** शासन व्यवस्था में सुधार हेतु केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ/अधिनियम लाए गए जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा विभिन्न राज्यों में लागू की गई ई-गवर्नेंस प्रणाली बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। जहाँ सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर सारी जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं वहीं ई-गवर्नेंस के तहत कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाई जा रही है।

4. **सुरक्षा:** नक्सलवाद से सुरक्षा संबंधी उपायों में भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीपीएफ) की बटालियनें तैनात की गई हैं। इसके अलावा कोबरा बटालियन जो केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल का ही एक विशेष प्रशिक्षित भाग है, को विद्रोह-रोधी और जंगल युद्ध कार्रवाइयों के लिये नियुक्त किया गया है।
   सरकार द्वारा नक्सलवादियों के समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुरूप आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी कैडरों के लिये विशेष कोष, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा ग्राम रक्षा समितियों की भी व्यवस्था की गई है। अन्य उपायों में केंद्र सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षित पुलिस स्टेशन तथा विशेष अवसंरचना संबंधी योजनाओं जिसमें अगम्य क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों का उन्नयन तथा हैलिपैडों का निर्माण शामिल है, का कार्यान्वयन है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, वामपंथी उग्रवाद की समस्या का विशद् विश्लेषण किया गया है तथा 9 राज्यों में 106 सर्वाधिक ग्रसित जिलों में विशेष ध्यान देकर योजना बनाने, लागू करने तथा विभिन्न योजनाओं पर निगरानी के स्तर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 'पुलिस' व 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं अत: वामपंथी उग्रवाद से निपटने में उनकी भूमिका सर्वोपरि है; इसलिये केंद्र सरकार समस्या की करीबी से निगरानी करती है तथा विभिन्न योजनाओं के निर्माण तथा उनके लिये साधन जुटाकर राज्य सरकारों की मदद करती है। विभिन्न प्रयासों में सामंजस्य का कार्य भी केंद्र सरकार अपने तरीकों से करती है।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिये सभी प्रकार की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत सरकार द्वारा 'वृहद् क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों' (LAMPS) और 'प्राथमिक कृषीय सहकारी समितियों' (PACS) का पुनरुद्धार व पुनर्संरचना की गई। पूर्ववर्ती योजना आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामसभा द्वारा प्रबंधित 'अनाज बैंकों' (Grain Banks) का प्रबंध किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त परिसंपत्ति विहीन निर्धनों व वनवासियों को भूमि खरीदने के लिये दीर्घकालिक ऋणों का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये। योजना आयोग का कहना है कि अनुच्छेद 323-B के तहत सीलिंग मामलों के त्वरित निस्तारण के लिये भूमि अधिकरणों अथवा फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिये।

वामपंथी उग्रवाद व नक्सली हिंसा पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयास निम्नवत् हैं:

(क) **एकीकृत कमांड का गठन**- छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड व ओडिशा में एकीकृत दस्ते (Unified Command) का गठन किया गया है जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति सुरक्षा संस्थापनों (Security Establishments) से जुड़े लोगों में से की जाएगी।

(ख) **सुरक्षा संबंधी व्यय योजना**- इस योजना के तहत सुरक्षा बलों के लोगों के बीमा, प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं से जुड़े व्यय के लिये राशि दी जाती है। जो वामपंथी उग्रवादी कैडर आत्मसमर्पण करते हैं उनके पुनर्वास के लिये भी इस योजना में प्रावधान है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग, सुरक्षा आधारित अवसंरचनाओं, ग्राम सुरक्षा समितियों के लिये भी राशि आवंटित की जाती है। झारखंड सरकार ने हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले गुमराह नक्सलियों के पुनर्वास के लिये पुलिस बलों में भर्ती हेतु एक योजना बनाई है।

(ग) **सिविल एक्शन प्रोग्राम**- इस कार्यक्रम के तहत प्रभावित राज्यों में असैन्य कार्रवाई के संपादन हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को वित्तीय अनुदान जारी किया जाता है। यह कार्यक्रम कुछ हद तक प्रभावित क्षेत्रों की स्थानीय जनसंख्या और सुरक्षा बलों के मध्य खाई को भरने में सहायक रहा है।

(घ) **नक्सल प्रभावित जिलों में 'रोशनी' नामक योजना**- वर्ष 2013 में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा देश में वामपंथी उग्रवाद से 24 अति प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिये 'रोशनी' नामक एक नई कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर, उन्हें दक्ष बनाकर 50 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत झारखंड व ओडिशा प्रत्येक से 6 जिले, छत्तीसगढ़ से 5 जिले, बिहार से 2 और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में प्रत्येक से 1 जिले का चयन किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस योजना के क्रियान्वयन पर 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इस योजना में केन्द्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी का अनुपात 75:25 होगा। इस योजना

के तहत 18-35 आयु वर्ग के लोगों को रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्धनों की सहभागितामूलक पहचान (Participatory Identification of Poor) के आधार पर जरूरतमंदों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ड.) **ग्रेहाउंड फोर्स**- ग्रेहाउंड फोर्स का गठन वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने के लिये वर्ष 1989 में आंध्र प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के.एस. व्यास के प्रयत्नों से हुआ। माओवादी विद्रोह (Maoist Insurgency) से निपटने में आंध्र प्रदेश का प्रयास सराहनीय रहा है और इसके ग्रेहाउंड्स मॉडल को देश भर के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विस्तारित करने की सिफारिशें की जाने लगी हैं। ग्रेहाउंड्स बल में 3000 सुरक्षाकर्मी हैं जिनको दिया जाने वाला प्रशिक्षण लगभग एनएसजी (NSG) के समान है। राज्य में प्रत्यक्ष रूप से भर्ती अधिकारियों (असिस्टेन्ट सब इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस प्रोबेशनर्स तक) को ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। वे तीन साल तक सेवा देने के बाद डिस्ट्रिक्ट गार्ड में नियुक्त किये जाते हैं। इससे आंध्र प्रदेश में पुलिस बल की संघर्ष क्षमताओं का विस्तार हुआ है।

आंध्र मॉडल (ग्रेहाउंड्स) की एक अन्य विशेष बात यह है कि राज्य के प्रत्येक जिले में नौजवान अधिकारियों व व्यक्तियों का एक विशेष बल बनाया गया है। राज्य में भवनों, सुरक्षात्मक दीवारों, गार्डिंग, प्रकाश की व्यवस्था, हथियार और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कार्यबल की स्थिति देश में अद्वितीय है। आंध्र प्रदेश में हथियारों के आधुनिकीकरण, संचार, परिवहन, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिये समर्थनकारी तकनीकी के विकास में भारी निवेश किया गया है। आसूचना क्षमताओं (Intelligence Capacities) को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा माओवादी नेताओं के उन्मूलन अथवा गिरफ्तारी पर नकद पुरस्कार देने की योजना भी राज्य में जारी है। इस प्रकार वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद से निपटने में आंध्र प्रदेश का ग्रेहाउंड्स मॉडल एक स्वीकृत प्रतिमान बन चुका है।

(च) **कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन अथवा कोबरा बटालियन** - कोबरा बटालियन केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की एक विशेषीकृत इकाई है जिसका गठन सितम्बर, 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा बन चुके नक्सलवादी आंदोलन से निपटना था। यह विशेषीकृत इकाई सीआरपीएफ की ऐसी इकाइयों में से एक है जो विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित है। वर्तमान में 10 कोबरा बटालियन यूनिट कार्यरत् हैं। वर्ष 2009 में गृह मंत्रालय ने नक्सलियों से निपटने के लिये 10 कोबरा बटालियन यूनिट हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। कोबरा बटालियन के सुरक्षा कर्मियों को मिजोरम स्थित काउंटर इंसरजेन्सी एंड जंगल वारफेयर स्कूल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के सिलचर स्थित आतंकवाद रोधी स्कूल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(छ) **योजना आयोग की एकीकृत कार्रवाई योजना**- योजना आयोग त्वरित विकास के लिये 82 चयनित आदिवासी व पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य 82 प्रभावित जिलों में लोक अवसंरचना की व्यवस्था करना है। 2010-11 व 2011-12 में इस कार्य हेतु क्रमशः 25 व 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रभावित जिलों में स्कूल भवनों, स्कूल फर्नीचर, आंगनवाड़ी केन्द्रों, पेयजल सुविधाओं, ग्रामीण सड़कों, पंचायत भवन, सामुदायिक भवनों, गोदामों, पीडीएस दुकानों, जीविकोपार्जन गतिविधियों, कौशल विकास प्रशिक्षण, विद्युत सुविधा, विशेष कोचिंग कक्षाओं के प्रबंधन आदि के लिये धनराशि आवंटित की जाती है। गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद शाखा के अनुसार, 31 दिसंबर, 2013 तक इस स्कीम के तहत कुल 87534 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान 88 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्रवाई योजना को 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी रखा गया।

(ज) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिये 'सड़क आवश्यकता योजना'**- इस योजना के पहले चरण को फरवरी, 2009 में मंजूरी दी गई थी। 8 राज्यों के 34 जिलों में सड़क संपर्कों में सुधार के लिये यह योजना चलाई गई।

(झ) **जी.आई.एस. मैपिंग**- वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक रूप से प्रभावित 35 जिलों में आवश्यक सेवाओं की जी.आई.एस मैपिंग का एक प्रस्ताव लाया गया है।

देश के उत्तर-पूर्व में उग्रवाद *(Extremism in North-east)*

उत्तर-पूर्व एक अत्यधिक विषम क्षेत्र है जहाँ सांस्कृतिक, नृजातीय, भाषायी तथा धार्मिक विविधता है। यहाँ संघर्ष के कई स्वरूप हैं। इसमें शामिल हैं- विदेशियों तथा आप्रवासियों के प्रति आंदोलन, स्वायत्तता की मांग, जातीय एकीकरण तथा कथित थोपी गई भारतीयता का विरोध आदि।

बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ तथा उनके सीमा-पार प्रवास तथा असम व उत्तर-पूर्व के राज्यों में इनके बस जाने से एक बड़ी समस्या पैदा हुई है। आप्रवासियों का आगमन आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है तथा संघर्ष एवं हिंसा का एक कारण बनता है। अपनी भूमि में इनके दखल तथा सस्ते श्रम की उपलब्धता ने यहाँ के स्थानीय नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव डाला है और यह उनमें असुरक्षा का एक बड़ा कारण है।

नागा लोगों में यह भावना कूट-कूट कर भरी है कि वे पृथक हैं तथा उनका करीबी समुदायों से कोई राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जुड़ाव नहीं है। NSCN (IM) आज भी आजादी के लिये राजनीतिक रूप से परिचालित है; हालाँकि नागा लोगों के रुख में अब पहले की अपेक्षा काफी परिवर्तन आ चुका है।

उत्तर-पूर्व में असमिया लोग, शेष भारत की तुलना में अधिक पिछड़े हैं जबकि बोडो जनजाति को असमिया लोगों की तुलना में अधिक पिछड़ा माना जाता है। मिज़ोरम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह खुद को पिछड़ा हुआ समझता है।

धार्मिक, जातीय एवं नृजातीय संघर्ष *(Religious, Caste and Ethnic Conflicts)*

भारत एक बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुभाषी देश है। आजादी के बाद से अब तक देश ने अनेक सांप्रदायिक दंगे, जातीय एवं नृजातीय संघर्ष देखे हैं। हालाँकि इनमें से अनेक संघर्ष शासन विरोधी उपद्रवी तत्त्वों द्वारा शुरू किये गए थे, जो अपनी जड़ें समाज में बढ़ते असंतोष में खोजते हैं।

भारतीय संविधान में न्याय एवं समानता पर आधारित व्यवस्था की बात की गई है। धर्मनिरपेक्षता शासन व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह सब होते हुए भी, यदि भाषाई, जातीय अथवा धार्मिक कारणों से किसी भी रूप में उग्रवाद पनपता है तो यह सरकार एवं प्रशासन की अक्षमता है।